न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 02/2020

अनवान : –

1 साहबराम आयु 51 वर्ष
2 हेतराम आयु 47 वर्ष
3 मु० मनोहरी धर्मपत्नी स्व0 श्री पृथ्वी पुत्र स्व0 श्री हरलाल
जाति ढाढी, निवासीगण बशीर, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ । } पुत्रगण स्व० श्री पृथ्वी पुत्र स्व0 श्री हरलाल

– प्रार्थीगण

बनाम

1 रणवीर सिंह पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी बशीर, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़ ।
2 सीताराम उर्फ सरजीत
3 राजपाल } पुत्रगण श्री भागीरथ जाति जाट निवासीगण बशीर, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

4 स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व), टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री अब्दुल सतार जोईया प्रार्थीगण

निर्णय दिनांक: 17/01/25

यह कि प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के दादा तथा प्रार्थीया संख्या 3 के ससुर स्व० श्री हरलाल पुत्र श्री चुन्नीराम जाति ढाढ़ी को न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ के आदेश दिनांक 06.12.1980 से चक 10 एफटीपी तहसील टिब्बी में निम्नलिखित विवरण की आराजी आवंटित हुई थी – चक नंबर 10 एफटीपी 201/240 मु0नं0 (18) किला न0 6/0. 215,7–14/0.506 15/0.215, 16/0.215, 24/.253,25/.215 कुल 1.619 है0 गै0मु0 रास्ता 0.152 है0 कुल 1.771 यह कि स्व० श्री हरलाल पुत्र श्री चुन्नीराम को आवंटित उक्त मुमकिन 1.619 हैक्टेयर भूमि की सनद खातेदारी संख्या 040068 दिनांक 07.10.1991 को जारी हुई व उक्त 1.619 हैक्टेयर भूमि जरिये इंतकाल संख्या 85 दिनांक 23.05.1992 स्व0 श्री हरलाल के वारिसान मनफूल – बनवारीलाल – पृथ्वी – मदनलाल व मन्नी के पक्ष में बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज हुई। उक्त 1.619 हैक्टेयर के अलावा चक 10 एफटीपी के पत्थर नंबर 201 / 240 (18) के किला नंबर 17 कुल 1 बीघा भूमि का आवंटन प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता व प्रार्थीया संख्या 3 के पति श्री पृथ्वी पुत्र श्री हरलाल को अलग से हुआ था जिसकी सनद खातेदारी संख्या 040069 दिनांक 07.10.1991 को जारी हुई व इन्तकाल संख्या 85 दिनांक 23.05.1992 श्री पृथ्वी पुत्र श्री हरलाल के नाम खातेदारी दर्ज हुई । चित्रप्रति सनद खातेदारी संख्या 040068 व 040069 दिनांक 07.10.1991 संलग्न है । यह कि स्व० श्री हरलाल पुत्र श्री चुन्नीराम को आवंटित 1.691 हैक्टेयर मुमकिन भूमि में से उनके वारिस बनवारीलाल व मदनलाल ने अपना 2 / 5 हिस्सा अर्थात् 0.6476 हैक्टेयर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31.07.1992 अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रय की व इसी प्रकार मनफूल व मन्नी ने अपना 2/5 हिस्सा अर्थात् 0.6476 हैक्टेयर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.08.1992 अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 को बहिस्सा बराबर विक्रय की तथा शेष 1/5 हिस्सा अर्थात् 0.3238 हैक्टेयर प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता व प्रार्थीया

Scanned with CamScanner

संख्या 3 के पति स्व० श्री पृथ्वी पुत्र श्री हरलाल की शेष रही । चित्रप्रति प्रमाणित प्रतिलिपि विक्रय पत्र दिनांक 31.07.1992 व दिनांक 01.08.1992 संलग्न प्रार्थना पत्र है । प्रार्थीगण ने भी स्व० श्री पृथ्वी पुत्र हरलाल को पृथक से आवंटित कृषि भूमि चक 10 एफटीपी पत्थर नंबर 201/240 (18) किला नंबर 17 तादादी 1 बीघा सनद खातेदारी संख्या 040069 दिनांक 07.10.1991 जारी होने के बाद जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.08.1992 अप्रार्थी संख्या 1 को विक्रय कर दी। चित्रप्रति प्रमाणित प्रतिलिपि विक्रय पत्र दिनांक 18.08. 1992 संलग्न प्रार्थना पत्र है । स्व० श्री हरलाल पुत्र श्री चुन्नीराम की 1.619 हैक्टेयर भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 31.07.1992 व दिनांक 01.08.1992 के आधार पर इंतकाल संख्या 17 दर्ज करते समय अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 2/5 हिस्सा व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के नाम बहिस्सा बराबर 2/5 हिस्सा दर्ज हुआ लेकिन सहबन से इस इंतकाल में स्व० श्री पृथ्वी का शेष 1/5 हिस्सा दर्ज होने से रह गया तथा कुल भूमि पत्थर नंबर 201/240 (18) किला नंबर 6 / 0.215, 7–14 / 0.506, 15 / 0.215, 16/0.215, 24/0.253, 25/0.215 तादादी 1.619 हैक्टेयर मुमकिन भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हो गई जबकि उनकी खरीद शुदा भूमि 2/5 +2 / 5 कुल 4/5 हिस्सा अर्थात् 1.2952 हैक्टेयर ही थी तथा शेष 0.3238 हैक्टेयर भूमि स्व० श्री पृथ्वी के 1/5 हिस्सा की थी । कालांतर में उक्त 1.619 हैक्टेयर मुमकिन भूमि गैरमुमकिन रास्ता 0.152 हैक्टेयर सहित 1. 771 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 2/5 हिस्सा व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के नाम बहिस्सा बराबर 2/5 हिस्सा दर्ज हुई जबकि उक्त 1.771 हैक्टेयर मय गैरमुमकिन भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का 2/5 हिस्सा अर्थात् 0.7084 हैक्टेयर व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 का बहिस्सा बराबर 2/5 हिस्सा अर्थात् 0.7084 हैक्टेयर ही था तथा शेष 1/5 हिस्सा अर्थात् 0.3542 हैक्टेयर स्व0 श्री पृथ्वी पुत्र हरलाल का था । स्व० श्री पृथ्वी के देहान्त उपरांत प्रार्थीगण उक्त भूमि में से पत्थर नंबर 201/240 के किला नंबर 6 व 15 पर काबिज रहे व आज भी काबिज यह कि उक्त वर्णित कुल 1.771 हैक्टेयर भूमि में से पत्थर नंबर 201/240 के किला नंबर 6–15 कुल 2 बीघा भूमि के संबंध में एक व्यक्ति बेगाराम पुत्र श्री लालूराम जाति जाट निवासी बशीर ने अपनी खातेदारी भूमि होना व्यक्त करते हुए एक वादपत्र प्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के दादा व प्रार्थीया संख्या 3 के सुसर श्री हरलाल के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलैक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया जो कालांतर में डिप्टी कलैक्टर (जमीदारी एवं बिस्वेदारी) श्रीगंगानगर को मुन्तकिल हुआ व तत्पश्चात दिनांक 01.10.1992 को न्यायालय अपर जिला कलैक्टर (जागीर) हनुमानगढ में मुन्तकिल हुआ। न्यायालय अपर जिला कलैक्टर, हनुमानगढ ने इस प्रकरण में दिनांक 31. 05.1999 को निर्णय करमाते हुए यह वादपत्र खारिज करने के साथ–साथ उक्त पत्थर नंबर 201/ 240 (18) के किला नंबर 6 व 15 कुल 2 बीघा को आराजीराज दर्ज करने के आदेश भी पारित कर दिये तथा इस आदेश के आधार पर इंतकाल संख्यख 149 के जरिये यह 2 बीघा भूमि आराजीराज दर्ज कर दी गई प्रार्थी संख्या 1 ने इस निर्णय दिनांक 31.05.1999 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, हनुमानगढ के समक्ष अपील संख्या 66/2006 शीर्षक ष्साहबराम बनाम जयमलराम आदिष् प्रस्तुत की तथा यह अपील दिनांक 25.08.2006 को स्वीकार फरमाई जाकर उक्त पत्थर नंबर 201/240 (18) किला नंबर 6 व 15 कुल 2 बीघा भूमि प्रार्थी संख्या 1 के दादा श्री हरलाल को आवंटित होना एवं उनकी खातेदारी भूमि होना मानकर प्रार्थीगण की खातेदारी घोषित की गई। स्व० श्री बेगाराम के पौत्र जयचंद ने इस निर्णय व डिक्री दिनांक 25.08.2006 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 15.01.2019 को खारिज फरमाई गई। तत्पश्चात प्रार्थीगण ने न्यायालय अतिरिक्त कलैक्टर हनुमानगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी शीर्षक ष्साहबराम आदि बनाम स्टेटष् विविध प्रकरण संख्या 2 /2019 प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 31.05.1999 के आधार पर दर्ज इंतकाल संख्या 149 से पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण का यह प्रार्थना में जारी पत्र दिनांक 01.09. 2019 को स्वीकार फरमाया गया व इस आदेश के अनुसरण पत्र क्रमांक एडीएम/रीडर/विविध /2/2019/876 दिनांक 13.09.2019 की पालना में इंतकाल संख्या 825 दिनांक 06.12.2019 दर्ज होकर उक्त किला नंबर 6 व 15 आराजीराज से पुनः खातेदारी दर्ज होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के खाता में दर्ज इस प्रकार चक 10 एफटीपी के पत्थर नंबर 201 / 240 (18) के किला नंबर 6 व 15 पुनः खातेदारी दर्ज होने पर इंतकाल संख्या 825 दिनांक 06.12.2019 के जरिये यह भूमि ष्राजपाल पुत्र भागीरथ हिस्सा 0.316/1.

Scanned with CamScanner

265, रणवीर पुत्र मनीराम हिस्सा 0.632 /1.265 व सीताराम उर्फ सरजीत पुत्र भागीरथ हिस्सा 0.317/1.265 दर्ज हुई। यह प्रविष्टि गलत व विधि विरुद्ध है जबकि इंतकाल संख्या 149 से पूर्व की स्थिति अनुसार सीताराम राजपाल पिसरान भागीरथ 2/5 व रणवीर पुत्र मनीराम 2/5 हिस्सा में पत्थर नंबर 201/240 (18) किला नंबर 6, 7, 14, 15, 16, 24, 25 मय गैरमुमकिन 1.771 हैक्टेयर० दर्ज होनी चाहिये थी तथा इस भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 का 2/5 हिस्सा अर्थात् 0.7084 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का बहिस्सा बराबर 2/5 हिस्सा अर्थात् 0.7084 हैक्टेयर दर्ज होकर शेष 1/5 हिस्सा अर्थात् 0.3542 हैक्टेयर स्व० श्री पृथ्वी के हक व हिस्सा का होने से उसके वारिसान प्रार्थीगण के नाम दर्ज होना चाहिये था। यह कि बैयनामा दिनांक 31.07.1992 व दिनांक 01.08.1992 के जरिये क्रमशः अप्रार्थी संख्या 1 ने 1.619 हैक्टेयर मुमकिन भूमि में 2/5 हिस्सा अर्थात् 0.6476 हैक्टेयर व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 ने बहिस्सा बराबर 2/5 हिस्सा अर्थात् 0.6476 हैक्टेयर भूमि ही खरीद की थी तथा शेष 1 / 5 हिस्सा अर्थात् 0.3238 हैक्टेयर स्व० श्री पृथ्वी का भाग हिस्सा यथावत् रहा लेकिन इन बैयनामो के आधार पर दर्ज इंतकाल संख्या 17 दिनांक 10.05.93 में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 2/5 हिस्सा व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के नाम बहिस्सा बराबर 2/5 हिस्सा का इंतकाल दर्ज किये जाने व पृथ्वी के शेष 1/5 हिस्सा का उल्लेख सहबन नहीं किये जाने से राजस्व अभिलेख में समस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम 2/5 हिस्सा की दर से व अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 बहिस्सा बराबर 2/5 हिस्सा की दर से दर्ज होती आई व इंतकाल संख्या 149 के आधार पर पत्थर नंबर 201/240 (18) किला नंबर 6 व 15 कुल 2 बीघा आराजीराज दर्ज होने के बाद शेष 5 बीघा भूमि जमाबंदी चक 10 एफटीपी खाता संख्या 84/87 सम्वत् 2057—2061 में मय गैरमुमकिन दर्ज हुई। यह प्रविष्टि कतई गलत व विधि विरूद्ध है तथा धारा 144 सीपीसी के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 11.09.2019 के आधार पर पत्थर नंबर 201/240 (18) के किला नंबर 6 व 15 वापिस खातेदारी दर्ज होने से कुल 1.771 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण का 1/5 हिस्सा अर्थात् 0.3542 हैक्टेयर है तथा प्रार्थीगण इस आशय की घोषणा प्राप्त करने के अधिकारी है कि चक 10 एफटीपी के पत्थर नंबर 201/240 (18) किला नंबर 6, 7, 14, 15, 16, 24, 25 कुल 1.771 हैक्टेयर भूमि में 1/5 हिस्सा के खातेदार है व मुताबिक घोषणा उक्त भूमि के रिकार्ड में दुरूस्ती करवाने के अधिकारी है तथा अपने घोषित 1/5 हिस्सा की भूमि का खाता विभाजन करवाने के अधिकारी है अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 राजस्व अभिलेख में हुई गलत प्रविष्टियों का अवलम्ब लेकर प्रार्थीगण के 1/5 हिस्सा का हक होने से इन्कार कर रहे है तथा धारा 144 सीपीसी के आदेश दिनांक 11.09.2019 की पालना में पत्थर नंबर 201/240 (18) के किला नंबर 6 व 15 आराजीराज को पुनः खातेदारी दर्ज होने के बाद कुल 1.771 हैक्टेयर भूमि में अकेले स्वयं को खातेदार होने का दंभ भरते हुए प्रार्थीगण के हकूक खातेदारी से इन्कार करने लगे है तथा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि पत्थर नंबर 201/240 (18) के किला नंबर 6 व 15 में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप करने की धमकी देने लगे है व अपने नाम दर्ज भूमि का अनुचित फायदा उठाते हुए यह भूमि अन्य व्यक्तियों को रहन, बैय व मुन्तकिल करने को कटिबद्ध है। यदि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 अपने इस गलत व विधि विरूद्ध मकसद में कामयाब हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपरिमेय क्षति होगी। इन परिस्थितियों में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि वे प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि चक 10 एफटीपी पत्थर नंबर 201/240 (18) के किला नंबर 6 व 15 में कोई दखलअंदाजी नहीं करे व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे तथा कुल 1.771 हैक्टेयर भूमि के किसी भी भू–भाग को रहन, बैय व मुंतकिल करने से निषिद्ध रहे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपरिमेय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि वे ताफैसला दावा व अंतिम विभाजन होने तक प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि चक 10 एफटीपी पत्थर नंबर 201/240 (18) किला नंबर 6 व 15 में कोई हस्तक्षेप नहीं करे व राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज पत्थर नंबर 201/240 (18) किला नंबर 6, 7, 14, 15, 16, 24, 25 मय गैरमुमकिन रास्ता कुल 1.771 हैक्टेयर भूमि में से किसी भी भू–भाग को अन्य व्यक्तियों को रहन, बैय व मुन्तकिल करने से निषेद्ध रहे।

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 ता 3 के विरूद्ध दिनांक 06.01.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। बहस एकपक्षीय प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई।

इसने प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत घोषणा साक्ष्य सबूतो के आधार पर मूल दावे के निर्णय में तय होना है। इस प्रकम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी करना उचित नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है। प्रथम दृष्टयता सलंग्न राजस्व रिकोर्ड के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादभूमि में प्रार्थी के पिता हरलाल को पुख्ता अलॉट रुक्का का नामान्तरण दिनांक 18.07.2024 को प्रार्थी के पिता हरलाल के पक्ष में किया गया है जिससे प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। जब तक प्रार्थीगण के हक हिस्सो की घोषणा का निर्धारण नही हो जाता तब तक अप्रार्थीगण को उक्त वाद भूमि को रहन बैय तथा रिकोर्ड व मौका की यथास्थिति बनाए रखने बाबत् पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ताकि मुकदमेबाजी ना बढ़े। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 16.01.2020 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला (CONFIRM) स्थाई किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 17/01/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner